राजस्थान सरकार

न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी (जिला कलक्टर), बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

सूचना का अधिकार प्रार्थना पत्र 32/2025

अपीलांटः–	बनाम	रेस्पोडेंटः –
1. श्री यशपाल सिंह राठौड़ पुत्र देवी सिंह निवासी मोकलसर, तहसील सिवाना, जिला बालोतरा।		1 उपखण्ड अधिकारी, सिवाना

आदेश

दिनांक 20.08.2025

अपीलार्थी श्री यशपाल सिंह राठौड़ पुत्र देवी सिंह निवासी मोकलसर, तहसील सिवाना, जिला बालोतरा ने यह प्रथम अपील उतरदाता उपखण्ड अधिकारी, सिवाना के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय में दिनांक 05.08.2025 को प्रस्तुत की गई है। अपीलीर्थी द्वारा अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र व्यक्तिशः उपस्थित होकर/पंजीबद्ध डाक/ऑनलाईन प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से संबंधित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, सिवाना को जरिये नोटिस मय अपील की प्रति भिजवाते हुए टिप्पणी रिपोर्ट चाही गई। रेस्पोडेंट द्वारा निर्धारित सुनवाई तिथी को उपस्थित हुए जवाब/टिप्पणी प्रस्तुत की गई।

रेस्पोडेंट द्वारा जवाब प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना कार्यालय उपखण्ड, अधिकारी सिवाना के पत्रांक/आरटीआई/2025/1057 दिनांक 21.05.2025 को निर्धारित समयावधि में जरिये डाक कार्यालय में उपलब्ध सूचना उपलब्ध करवाई गई। साथ ही कथन किया कि अपीलांट द्वारा चाही गई वांछित सूचना प्रश्नात्मक सूचना है, जो कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(एच) के अनुसार तृतीय पक्षकार की सूचना दिये जाने का प्रावधान नहीं है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील को अस्वीकार कर प्रकरण खारिज योग्य है।

हमने प्रस्तुत अपील एवं रेस्पोडेंट की ओर से जवाब का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना कार्यालय उपखण्ड, अधिकारी सिवाना के पत्रांक/आरटीआई/2025/1057 दिनांक 21.05.2025 को निर्धारित समयावधि में जरिये डाक कार्यालय में उपलब्ध सूचना उपलब्ध करवाई गई। साथ ही कथन किया कि अपीलांट द्वारा चाही गई वांछित सूचना प्रश्नात्मक सूचना है, जो कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(एच) के अनुसार तृतीय पक्षकार की सूचना दिये जाने का प्रावधान नहीं है। लिहाजा प्रस्तुत अपील के तथ्यों के अवलोकन एवं विवेचन उपरान्त अपीलार्थी की यह अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है

अतः अपीलार्थी की यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित हो।

आदेश आज दिनांक 20.08.2025 को न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार)
प्रथम अपील अधिकारी
जिला कलक्टर, बालोतरा